झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छुट) विधेयक, 2025

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

Scanned with OKEN Scanner

झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025

विषय-सूची

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ
2. इस अधिनियम की परिभाषाएँ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो
3. नोडल एजेंसी
4. नोडल एजेंसी की शक्तियाँ एवं कार्य
5. घोषणा और अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र दाखिल करना
6. अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र का प्रभाव
8. छूट
9. सदभावनापूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण
10. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना
11. बचत
12. अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति
13. अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र को प्रतिसंहरण करने की शक्ति
14. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति
15. नियम बनाने की शक्ति
16. निरसन और व्यावृति

Scanned with OKEN Scanner

झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025

समावेशी आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्य का लक्ष्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विशिष्ट आवश्यकताओं का समाधान करना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। यह समीचीन है कि कुछ अनुमोदनों और निरीक्षणों से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सुगम संचालन एवं स्थापना में छूट दी जाय।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और संचालन के लिए अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट प्रदान करना एवं उसके आनुषंगिक मामलों के निष्पादन हेतु झारखण्ड विधानसभा, भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में निम्नरूपेण अधिनियम बनाती है:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभः

(1) यह अधिनियम "झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) अधिनियम 2025" कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत होगा जिस दिन यह झारखण्ड सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होगा।

2. इस अधिनियम की परिभाषाएँ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः

(क) "अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-5 के तहत जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र।

(ख) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) अधिनियम 2025

(ग) "अनुमोदन" से अभिप्रेत है राज्य में किसी उद्यम की स्थापना या संचालन के लिए अनुसूची में उल्लेखित किसी राज्य के कानून के तहत आवश्यक कोई अनुमति, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, मंजूरी, सहमति, अनुमोदन, पंजीकरण, लाईसेंस और समरूप मामले।

(घ) "सक्षम प्राधिकार" से अभिप्रेत है राज्य सरकार का कोई भी विभाग अथवा एजेंसी, स्थानीय प्राधिकार, वैधानिक निकाय, राज्य के स्वामित्व वाला निगम, पंचायती राज संस्थान, नगरपालिका, नगर विकास प्राधिकार एवं राज्य के कानून द्वारा गठित राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वैसे सभी प्राधिकार अथवा एजेंसी जिन्हें राज्य के तहत उद्योगों की स्थापना अथवा संचालन हेतु स्वीकृति निर्गत करने का अधिकार एवं दायित्व प्रदत है।

ड.) "संयुक्त आवेदन प्रपत्र" का अर्थ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से है जो झारखण्ड एकल खिड़की मंजूरी अधिनियम, 2015 के तहत निर्धारित है जिसमें सभी मंजूरी के लिए एक व्यक्तिगत आवेदन प्रपत्र शामिल हैं।

(च) "विभाग" से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार का उद्योग विभाग।

(छ) "उद्यम" का वही अर्थ होगा जो भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 (ई) में है (सं0 2006 का 27)।

(ज) "नोडल एजेंसी" का अर्थ है धारा 3 में निर्दिष्ट नोडल एजेंसी।

(i) 'अधिसूचना' का अर्थ है राजपत्र (ई-गजट), झारखण्ड में प्रकाशित अधिसूचना।

Scanned with OKEN Scanner

(ii) 'विहित' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विहित।

(झ) 'अनुसूची' का अर्थ है इस अधिनियम से जुड़ी अनुसूची।

(ञ) 'राज्य सरकार' का अर्थ है झारखण्ड राज्य सरकार।

(ट) 'उद्योग आधार' का तात्पर्य औद्योगिक इकाईयों की ऐसी पंजीकरण संख्या से है, जो समय-समय पर केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है।

3. नोडल एजेंसी:-

(1) सरकार के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के अधीन झारखण्ड सिंगल विण्डो क्लीयरेंस ऐक्ट 2015 (अधिनियम-10, 2016) में यथा परिभाषित सिंगल विण्डो क्लीयरेंस कमिटी के लिए एम0 एस0 एम0 ई0 निदेशालय इस ऐक्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी होगी।

(2) सरकार के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन झारखण्ड में सिंगल विण्डो क्लीयरेंस अधिनियम 2015 (झारखण्ड अधिनियम-10, 2016) में परिभाषित जिला एम0 एस0 एम0 ई0 केन्द्र (DMC) इस अधिनियम परियोजनों के लिए उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्र की जिला स्तरीय नोडल एजेंसी होगी।

4. नोडल एजेंसी की शक्तियाँ एवं कार्य:-

1) सरकार के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन नोडल एजेंसी की शक्तियाँ और कार्य निम्नरूपेण होंगे-

(क) राज्य में उद्यमों की स्थापना में सहायता एवं सुविधा प्रदान करना।

(ख) इस अधिनियम के तहत प्राप्त आशय की घोषणा और जारी किये गये पावती प्रमाण-पत्र का रिकॉर्ड रखना।

(ग) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी, इस अधिनियम की धारा-7 में उल्लेखित जिम्मेदारियों से उद्यम द्वारा विचलन से संबंधित जानकारी के मामले में संबंधित विभाग/एजेंसी को पूछताछ/ निरीक्षण के लिए निर्देशित/अनुरोध करेगी।

2) सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नोडल एजेंसी को ऐसी अन्य शक्तियाँ और कार्य सौंप सकती है जो वह उचित समझें।

5. घोषणा और अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र दाखिल करना-

(1) कोई भी व्यक्ति जो उद्यम शुरू करने का इरादा रखता है वह नोडल एजेंसी को उद्यम शुरू करने के इरादे की घोषणा प्रस्तुत कर सकता है।

स्पष्टीकरण:- कोई भी उद्यम, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले किसी भी अनुमोदन को प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकार के पास गया है और वह इस अनुमोदन को इस अधिनियम की प्रभावी तारीख तक प्राप्त नहीं किया है, वह भी इस उपधारा के अन्तर्गत उद्यम शुरू करने के इरादे की घोषणा प्रस्तुत करने का विकल्प भी चुन सकता है।

(2) उद्यम, उद्योग विभाग की सिंगल विण्डो क्लीयरेंस सिस्टम के वेबसाईट पर आशय की घोषणा आवेदन जमा करके कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, उद्यम सरकार द्वारा जारी वैध फोटो आई0डी0 प्रमाण जैसे-बैंक फोटो पासबुक, मतदाता

Scanned with OKEN Scanner

पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड के साथ तीसरी मंजिल, नेपाल हाऊस बिल्डिंग में स्थित उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो कार्यालय में जाकर आशय की घोषणा भर सकता है।

(3) इस अधिनियम के तहत आवेदन करने के लिए कोई आवेदन या कोई अन्य अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

(4) सभी प्रकार से पूर्ण घोषणा प्राप्त होने पर नोडल एजेंसी तुरंत उस उद्यम को एक यथा निर्धारित पावती प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

6. अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र का प्रभाव-

(1) उद्यम को आशय की घोषणा की पुष्टि के प्रमाण के रूप में एक कम्प्यूटर जनित अभिस्वीकृति प्राप्त होगा।

(2) धारा-5 के तहत निर्गत अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र, सभी उद्देश्यों के लिए ऐसा प्रभाव रखेगा मानो कि उस उद्यम को पावती की सूचना से अगले तीन वर्षों तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने की तिथि अथवा संचालित होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगा।

(क) बशर्ते कि अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद उद्यम ऐसे अनुमोदन के लिए सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा।

(ख) बशर्ते कि जहां भी ऐसी योजना लागू है अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र किसी व्यक्ति को मास्टर प्लान में निर्दिष्ट भूमि उपयोग से इतर में भूमि का उपयोग करने का अधिकार नहीं देगा।

(ग) बशर्ते कि यदि उद्यम पूर्ववर्ती परन्तुक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है तो कानून के तहत उद्यम के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई की सकेगी।

(3) तीन वर्ष की अवधि के दौरान कोई भी सक्षम पदाधिकारी किसी भी अनुमोदन के उद्देश्य से या उसके संबंध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा जबतक की जीवन और सुरक्षा को खतरा न हो। यदि कतिपय कारणों से किसी उद्यम का निरीक्षण करना हो तो जिला मजिस्ट्रेट/निदेशक, एम0एस0एम0ई0 की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

7. उद्यम की जिम्मेदारियाँ-

(1) अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र की समाप्ति के बाद उद्यम को अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र की वैधता की तिथि से छः महीने के भीतर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(2) उद्यम, प्रासंगिक सुरक्षा कोड में निर्धारित मानकों को बनाये रखेगा और कर्मचारियों या श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए आपातकालीन तैयारी बनाये रखेगा।

(3) उद्यम ऐसी किसी भी विनिर्माण और सेवा संबंधी क्रिया-कलाप में संलग्न नहीं रहा हो जो किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य या कानून व्यवस्था के तहत निषिद्ध है या जो गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

(4) उद्यम आशय की घोषणा द्वारा प्रदान की गयी जानकारी में किसी भी बदलाव की सूचना देगा।

8. छूट-

सरकार या उसके अधीन कोई भी प्राधिकार जिन्हें किसी केन्द्रीय अधिनियम के तहत किसी उद्यम को किसी अनुमोदन या निरीक्षण या इनसे संबंधित किसी प्रावधान से छूट देने का अधिकार हो तो सरकार या कोई प्राधिकार, जैसा भी मामला

Scanned with OKEN Scanner

हो, केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख से कम से कम तीन वर्षो की अवधि के लिए इस प्रकार का छूट देने की शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे।

9. सदभावनापूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण-

इस अधिनियम या उसके तहत बनाये गये किसी भी नियम के तहत सदभावना से किये गये या किये जानेवाले किसी भी कार्य के लिए सरकार या नोडल एजेंसी का कर्मचारी, नोडल एजेंसी या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

10. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना-

राज्य के किसी भी अन्य कानून में निहित प्रावधानों में कुछ भी असंगत होने कि स्थिति में इस अधिनियम का प्रावधान प्रभावी होगा।

11. बचत-

इस अधिनियम के धारा-6 और 7 के प्रावधानों के अधीन अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रदान की गयी समय-सीमा को छोड़कर किसी भी उद्यम को उस समय लागू किसी भी कानून के प्रावधानों या उसके तहत निर्दिष्ट किसी भी नियामक उपायों और मानकों को आवेदन से छूट देने के रूप में नहीं माना जायेगा।

12. अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति-

राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा अनुसूची की किसी भी प्रविष्टि को जोड़ या हटा सकती है अथवा अनुसूची में संशोधन कर सकती है तथा जिसके बाद अनुसूची को संशोधित माना जायेगा।

13. अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र को प्रतिसंहरण करने की शक्ति-

अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र को निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रतिसंहरण किया जा सकता है-

(1) इरादे की घोषणा में जानबूझकर गलत जानकारी प्रस्तुत करना।

(2) अधिनियम और नियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना।

(3) यदि उद्यम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नहीं रह जाता है।

(4) यदि उद्यम आशय की घोषणा में उल्लेखित वि-निर्माण या सेवा गतिविधि का स्थान बदलता है।

(5) यदि विलय या विभाजन या पृथककरण या अधिग्रहण या समामेलन के कारण उद्यम का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उद्यम ऐसी व्यवस्था का हिस्सा होता है।

14. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति-

(1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार सामान्य या आधिकारिक राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसे प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और जो उसे उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

परन्तुक इस प्रकार का कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तिथि से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत निर्गत नहीं की जा सकेगी।

Scanned with OKEN Scanner

(2) इस धारा के तहत निर्गत किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधानसभा के समक्ष यथाशीघ्र रखा जायेगा।

15. नियम बनाने की शक्ति-

(1) राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम या अधिनियम का कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये प्रत्येक नियम को राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

16. निरसन और व्यावृति -

इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में विभिन्न औद्योगिक नीतियों और नियमों के तहत किया गया कोई भी कार्य या कोई कार्रवाई इस अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत वैध रूप से की गयी मानी जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner